Success Story of Rajasthan Victim Compensation Scheme 2011

Jaipur Metro 09.05.2017

घटना–1

दिनांक 09.05.2017 को The Times of India तथा राजस्थान पत्रिका समाचार–पत्र में एक खबर प्रकाशित हुई कि जयपुर शहर में मानसरोवर मेट्रो डिपो, 200 फीट बायपास के पास फुटपाथ पर 05 साल की बच्ची अपनी माँ के साथ सो रही थी और उसके साथ किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा दुष्कर्म किया गया है।

इस खबर पर माननीय न्यायाधिपति, श्रीमान् के. एस. झवेरी, न्यायाधीश, राजस्थान उच्च न्यायालय एवं कार्यकारी अध्यक्ष, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा तुरंत प्रसंज्ञान लेते हुए सदस्य सचिव श्री एस. के. जैन को निर्देशित किया कि वे इस प्रकरण पर त्वरित कार्यवाही करें।

निर्देशानुसार राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा जयपुर महानगर को निर्देशित किया कि वे पीडित प्रतिकर स्कीम, 2011 के तहत पीडिता को प्रतिकर दिलाए जाने हेतु अविलम्ब आवश्यक कार्यवाही करें तथा साथ ही कार्यालय के उप सचिव–द्वितीय, श्री अजय कुमार तथा श्री सत्यप्रकाश सोनी, पूर्णकालिक सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर महानगर को निर्देशित किया कि वे अस्पताल जाकर बालिका की देख–रेख के बारे में जानकारी लें, जिस पर दोनों अधिकारीगण जे.के. लोन अस्पताल पहुँचे तथा डॉक्टर्स व बालिका के परिजनों से मिलकर कुशलक्षेम जाना तथा बालिका के उचित ईलाज हेतु चिकित्सकों को निर्देशित किए जाने के पश्चात् बालिका के परिजनों से मिलकर घटना की संपूर्ण जानकारी ली तथा उसके पहचान पत्र तथा अन्य दस्तावेजात की जाँच करते हुए आवेदन लिया गया। साथ ही प्रकरण में पुलिस अधीक्षक को पत्र जारी कर अभियुक्त को जल्द से जल्द गिरफ्तार किए जाने बाबत् निर्देशित किया गया एवं जे. के. लोन अस्पताल के अधीक्षक को पत्र प्रेषित कर बालिका के उचित तथा निःशुल्क इलाज बाबत् निर्देशित किया।

नियमानुसार पोक्सो एक्ट से संबंधित प्रकरणों में कुल प्रतिकर राशि का 50 प्रतिशत तक दिया जा सकता है। अध्यक्ष महोदय के निर्देशानुसार पीडिता को 2.50 लाख रूपए की अंतरिम सहायता दिए जाने के आदेश पारित किए गए, जिनमें से 01 लाख रूपए किसी

Success Story of Rajasthan Victim Compensation Scheme 2011

Jaipur Metro 09.05.2017

राष्ट्रीयकृत बैंक के बचत खाता में नकद तथा 1.5 लाख रूपए की एफ.डी.आर. पीडिता के वयस्क होने तक करवाया जाना प्रस्तावित है तथा पीडिता के उपयुक्त इलाज तथा शिक्षा–दीक्षा के लिए यह आदेश भी किए गए कि उक्त एफ.डी.आर. पर प्राप्त होने वाला ब्याज पीडिता का पिता जरिए बचत खाता त्रैमासिक प्राप्त कर सकेगा, ताकि उक्त राशि को वह बालिका के कल्याण हेतु उपयोग में ले सके।

परंतु आदेश जारी किए जाने के तुरंत बाद यह ज्ञात हुआ कि उक्त प्रकरण में पीडित बालिका का पिता ही अभियुक्त है तथा पुलिस द्वारा उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। इस संबंध में पुलिस से रिपोर्ट मंगवाई जाकर तुरंत कार्यवाही की गई एवं प्राधिकरण की बैठक में इस बाबत् अनुमोदन करवाया गया कि उक्त प्रकरण में एक संशोधित आदेश जारी किया जाए तथा पीडिता को अंतरिम सहायता राशि जरिए पिता ना दी जाकर जरिए माता प्रदान की जावे।

****